न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर
(जिला – जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 01/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2025/1

प्रार्थीगण

1. नेतसिंह पुत्र पैपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम नवलगढ तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. आईदानसिंह पुत्र भेरूसिंह
2. कसुबीकंवर पत्नी भैरूसिंह
3. दलसिंह पुत्र करणसिंह
4. पदमसिंह पुत्र राणीदानसिंह
5. बूलसिंह पुत्र करणसिंह
6. भीमसिंह पुत्र राणीदानसिंह
7. मूलसिंह पुत्र राणीदानसिंह
8. मालमसिंह पुत्र राणीदानसिंह
9. रिडमलसिंह पुत्र भेरूसिंह
10. लालसिंह पुत्र करणसिंह
11. शैतानसिंह पुत्र रिधसिंह
12. हेमसिंह पुत्र राणीदानसिंह
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

–: निर्णय:–

दिनांक :– 22/01/2025

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

प्रार्थी की सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 1.1979 हैक्टेयर ग्राम नवलगढ पटवार हल्का बस्तवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर मे आई हुई है। जिसमे प्रार्थी रहवासीय ढाणिया व टांके मकान, मवेशियो, ट्यूबवेल है तथा उक्त भूमि खेती के उपयोग मे लाई जाती है। प्रार्थी के अपने खेत मे आने जाने व काश्तकारी हेतु खसरा नम्बर 13/1 एवं 12 मे से होकर आगे मुख्य सड़क से मिलान करता है लेकिन [illegible] 12 के खातेदारों द्वारा बार–बार उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा [illegible]ढ पटवार क्षेत्र बस्तवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर मे स्थित खसरा [illegible] 13/1 व 12 मे से 30 फिट चौडा रास्ता कटाणी रास्ते के रूप मे दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:51:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्राथीगण को नोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार बालेसर से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बालेसर द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/47 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा भू.अ. निरीक्षक बस्तवा एवं हल्का पटवारी बस्तवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

भू.अ. निरीक्षक बस्तवा एवं हल्का पटवारी बस्तवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 के अनुसार प्रार्थी के खेत मे आने–जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता खसरा नम्बर 12 व 13/1 मे से प्रस्तावित किया गया है जो कि मूल (खसरा नम्बर 13/1) खसरा

नम्बर 13 मूल के हिस्सा है। उक्त वांछित रास्ता निकटतम एवं लघुतम है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई भी कच्चा/पक्का निर्माण नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते मे खसरा नम्बर 12 मे से 97X6 = 582 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 13/1 मे से 16X6 = 96 वर्गमीटर रकबा रास्ते मे जाएगा जिसकी वर्तमान डीएससी के अनुसार 02 गुणा राशि क्रमशः 30030 रूपयें एवं 4953 रूपये बनती है।

अप्रार्थीगणो को नोटिस जरिये तहसीलदार द्वारा तामील कुलिन्दा से तामिल करते हुए तामिलशुदा नोटिस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगणो के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रार्थी द्वारा बहस हेतु अनुरोध किया गया। प्रार्थी की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान रखते हुए प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू.अ. निरीक्षक बस्तवा एवं हल्का पटवारी बस्तवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिर्पोट में प्रार्थी द्वारा चाहे गया रास्ता लघुतम एवं निकटतम दर्शाया गया है।

अतः प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के ग्राम नवलगढ पटवार क्षेत्र बस्तवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर मे स्थित खसरा नम्बर 13/1 एवं 12 में चाहे गए रास्ता भू.अ. निरीक्षक बस्तवा एवं हल्का पटवारी बस्तवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 में प्रस्तुत नक्शे में दर्शाये खसरा नम्बर 12 मे से 97X6 = 582 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 13/1 मे से 16X6 = 96 वर्गमीटर रकबा तक को 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। भू.अ. निरीक्षक बस्तवा एवं हल्का पटवारी बस्तवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान अप्रार्थीगणों को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना भू.अ. निरीक्षक बस्तवा एवं हल्का पटवारी बस्तवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 मे अंकित खसरा नम्बर 12 मे से 97X6 = 582 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 13/1 मे से 16X6 = 96 वर्गमीटर का डीएलसी दो गुणा राशि या निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना तहसीलदार एवं उप पंजीयक, बालेसर करते हुए जो राशि सर्वाधित हो वह राशि प्रार्थीगणों द्वारा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि सम्बन्धित अप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार बालेसर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते है तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी जिसे तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगणो द्वारा राशि लेने से मना किया जाता है तो तहसीलदार उक्त राशि को नियमानुसार राजस्व मद मे जमा करवाने की कार्यवाही करेगे।

खसरा नम्बर 12 मे से 97X6 = 582 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 13/1 मे से 16X6 = 96 वर्गमीटर भूमि के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगणो को इस प्रकार दर्ज उक्तानुसार भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे।

रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रक[illegible] खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। [illegible] प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश आज दिनांक 22/01/2025 को दिए जाकर [illegible] हेतु तहसीलदार बालेसर को तहरीर जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.27 15:51:33 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर